न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 02/2019
दायर दिनांक :– 01–02–2019
निर्णय दिनांक :– 14–05–2019

अनवान

श्री रामा उर्फ रामलाल पिता श्री खेमा जी जाति गुर्जर निवासी बिनोल तहसील राजसमंद जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार,कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार, कुंवारिया,
प्रकरण संख्या 1062/2017 निर्णय दिनांक 24.10.2017

उपस्थित :–

1– श्री पी.सी. खटीक, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री कैलाश चन्द्र बोल्या राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम बिनोल तहसील राजसमंद की आराजी नम्बर 3374 कुल रकबा 23–17 बीघा भुमि में से 0.03 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बिनोल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने और अपीलाण्ट को भूमि का उपयोग अन्य अकृषि कार्य में कर लिये जाने से अनुमानित किराया 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/– आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 24.10.2017 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नाजायज कब्जा के सम्बन्ध में बेदखली का निर्णय और शास्ती आरोपित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है । राजस्व ग्राम बिनोल तहसील राजसमंद की आराजी नम्बर 3374 रकबा 23–17 बीघा में से 0.03 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा 50 वर्षों से अधिक पुराना होकर नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर एव बेदखली का आदेश पारित कर भारी भूल कारित की हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पारित आदेश काबिल खारिज है। अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम बिनोल तहसील राजसमन्द की आराजी नम्बर 3374 रकबा 23–17 बीघा किस्म चारागाह मेंसे 0.03 बिस्वा भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । माननीय न्यायालय के आदेश से चारागाह भूमि का आवंटन नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर काटेंदार बाड लगाकर कर अतिक्रमण किया गया ,जो नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलाण्ट के विरूद्व बेदखली का जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम बिनोल तहसील राजसमंद की आराजी नम्बर 3374 रकबा 23–17 बीघा किस्म चारागाह मेंसे 0.03 बिस्वा भूमि पर बाड लगाकर अतिक्रमण किया गया हैं किये गये अतिक्रमण से बेदखल करने व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया ,जो उचित प्रतीत होता है। अपीलाण्टस द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है जो आंवटन एवं नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप को उचित नहीं मानता हूँ । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द